संख्या–2266 / 26–2–2009–4(392) / 99

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक 25 नवम्बर, 2009

विषय:–समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त अनुसूचित प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ दिये जाने के संबंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित सहायता प्राप्त अनुसूचित प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित वर्तमान वेतनमानों के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्तम्भ–4 एवं 5 के अनुसार क्रमशः सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन संरचना		
		वेतन बैण्ड का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड (रू0)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रू0)
1	2	3	4	5
1	5500–175–9000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
2	4500–125–7000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800

2– उपरोक्त पुनरीक्षित वेतनमान उन शिक्षकों को ही अनुमन्य होंगे, जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषदीय विद्यालयों के लिए निर्धारित आर्हतायें पूर्ण करते हों, । विधिवत निर्धारित मापदण्डों के अधीन नियुक्त हों तथा विभाग द्वारा अनुमोदित हों । इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान इन विद्यालयों को समाज कल्याण विभाग द्वारा देय एकमुश्त अनुदान की धनराशि को आगणित / निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ अनुमन्य किया जा रहा है । इसके आधार पर इन शिक्षकों द्वारा ऐसी किसी सुविधा का दावा अनुमन्य नहीं होगा जो उन्हें शासन द्वारा पूर्व से स्वीकृत नहीं है। इसे सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक समाज कल्याण विभाग का होगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–3–2786 / दस–2009, दिनांक 23 नवम्बबर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,